



कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़।

कार्यालय पता:
रामघाट रोड, ऑवर लेडी फातिमा स्कूल के
सामने, अलीगढ़।
दूरभाष : 0571-2740682
वेबसाइट : www.adaaligarh.in
E-mail : ada1981@rediffmail.com

पत्रांक-2471 / प्रवर्तन अनुभाग / 2024-25

दिनांक-23-9-2024

Demand Notice

थानाक्षेत्र-खैर, जोन-2

श्री काशी डवलपर्स पार्टनर्स श्री जितिन गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्री आयुष गर्ग पुत्र श्री बांके गर्ग, श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार, श्रीमती छाया गर्ग पत्नी श्री पुनीत गर्ग स्थल-खसरा संख्या-306मि0, 301मि0, 312 गाम-सुजानपुर, परधाना व तहसील खैर, (कृष्णा रेजीडेन्सी), पंजीकृत कार्यालय-2/120 बेला मार्ग विष्णुपुरी, जीवन धारा हॉस्पिटल के सामने, अलीगढ़।

विषय: वाद संख्या-302/27(2022-23)/383/27(2022-23) के अंतर्गत देय शुल्क जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक वाद में आपके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तलपट मानचित्र पर विचार करते हुए निम्नलिखित शुल्कों एवं शर्तों के अधीन उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दि0 07.09.2024 को स्वीकृति प्रदान की गयी है :-


1.	वाह्य विकास शुल्क	रु0-	2,84,48,592.00
2.	निरीक्षण शुल्क	रु0-	4,19,865.00
3.	आन्तरिक विकास पर निरीक्षण शुल्क	रु0-	4,20,595.00
4.	मानचित्र शुल्क	रु0-	30,000.00
5.	बिना स्वीकृति भू-विभाजन शुल्क	रु0-	7,02,092.00
6.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के सापेक्ष शैल्टर फीस	रु0-	59,58,400.00
	योग	रु0-	3,59,79,544.00


1. शमन व अन्य देयताओं की गणनानुसार देय धनराशि कुल धनांक रु0-3,59,79,544.00 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख उन्यासी हजार पाँच सौ चौवालीस मात्र) प्राधिकरण कोष में दिनांक 08.10.2024 तक जमा करने होंगे। निर्धारित दिनांक तक उक्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा न करने पर नियमानुसार ब्याज सहित धनराशि जमा करनी होगी।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा तथा प्राविधान को सुनिश्चित करने हेतु रु0-5,00,000/-की एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ के नाम बंधक रखनी होगी, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करने के पश्चात मुक्त की जायेगी।
3. आन्तरिक विकास कार्यों हेतु विक्रय योग्य भूमि क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत भाग प्राधिकरण के पक्ष में रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट द्वारा बन्धक रखना होगा, जो आन्तरिक विकास पूर्ण किये जाने पर चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त किये जा सकेंगे।
4. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। प्रश्नगत भूमि क्षेत्रफल 36510.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्वामित्व सम्बन्धी किसी वाद-विवाद की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0 के मानकों के अनुरूप करना होगा।
6. स्थल पर नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
7. प्रस्तुत वाद संख्या-302/27(2022-23) में सृजित भूखण्डों पर अलग से निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर करना होगा।
8. प्रश्नगत तलपट मानचित्र का नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र विधिवत् कालोनी पूर्ण करने के पश्चात प्राप्त करना पक्ष का दायित्व होगा।
9. तलपट मानचित्र का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कालोनी के विधिवत् हस्तान्तरण नगर निगम/स्थानीय निकाय को करने का दायित्व पक्ष का होगा।
10. भविष्य में यदि किसी मद में कोई और देयता बनती है तो उसे पक्ष द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
11. रेरा एक्ट में किये गये प्राविधानों/नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।
12. स्थल पर एस0टी0पी0 का प्राविधान करना होगा।
13. आवेदक द्वारा धारा-38ख के प्राविधानों के अनुसार नगरीय उपयोग प्रभार की देयता देय होगी एवं नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क नियमावली के प्रभावी होने के उपरान्त नियमावली में उल्लेखित दर के आधार पर भू-स्वामी को नगरीय प्रभार शुल्क प्राधिकरण को अदा करना होगा अदा न करने की स्थिति में मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
14. पर्यावरण व प्रदूषण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 29.08.2024 का अनुपालन करना होगा। यदि प्राप्त अनापत्ति में किसी प्रकार की आपत्ति पायी जाती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
15. वॉछित विभागों से प्राप्त अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उपरोक्त शर्तों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

23.9.24
पीठासीन अधिकारी
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।

वाद संख्या-302/27(2022-23)/383/27(2022-23) अ.वि.प्रा. बनाम श्री काशी डवलपर्स पार्टनर्स श्री जितिन गर्ग पुत्र श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्री आयुष गर्ग पुत्र श्री बांके गर्ग, श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार, श्रीमती छाया गर्ग पत्नी श्री पुनीत गर्ग स्थल-खसरा संख्या-306मि0, 301मि0, 312 ग्राम-सुजानपुर, परगना व तहसील खैर, (कृष्णा रेजीडेन्सी), पंजीकृत कार्यालय-2/120 बेला मार्ग विष्णुपुरी, जीवन धारा हॉस्पिटल के सामने, थानाक्षेत्र-खैर, अलीगढ़ के अन्तर्गत उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 07.09.2024 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तलपट मानचित्र निर्गत किया जाता है :-

1. विकासकर्ता को पूर्व स्वीकृत/निर्गत शमन मानचित्र सं0-302/27(2022-23) में दी गयी शर्तें एवं पूर्व निर्धारित सैटबैक का यथावत पालन करना होगा।
2. भविष्य में यदि किसी मद में कोई ओर देगता बनती है तो उसे आपके द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
3. उपरोक्त शर्तों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
4. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।


अवर अभियन्ता
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।


पीठासीन अधिकारी
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।